राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग

क्रमांक प-5(2)(33) कार्मिक/क-3/जॉच/2012 जयपुर, दिनांकः 24 ... 13

आदेश

डॉ सजीव कुमार बसल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिवाई, (दौसा) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दण्डादेश क्रमाक प 1(132)कार्मिक/ क-3/2004 दिनाक 21 05 2009 के द्वारा डॉ बसल की दो वार्षिक वेतन वृद्धियॉ असचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

डॉ बसल ने उक्त दण्डादेश दिनाक 21.05 2009 के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 के नियम-33 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका को आदेश क्रमाक प 5(2)(56)कार्मिक/क-3/2009, दिनाक 17 11 2009 के द्वारा सारहीन होने के कारण अस्वीकार की गई।

डॉ सजीव कुमार बसल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी ने उक्त दण्डादेश एव अपीलादेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 के नियम-34 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन याचिका दिनांक 28.05 2012 को माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत की।

डॉ सजीव कुमार बसल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका का परीक्षण करने पर पाया कि मुख्यत डॉ बसल का तर्क है कि उनके द्वारा टीकाकरण व अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यो के निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किये गये है, जिनके सम्बन्ध मे मासिक प्रतिवेदनो मे उचित रूप से प्रविष्टि अकित की गई है। टीकाकरण के सम्बन्ध मे किये गये गम्भीर प्रयासो के तहत स्टॉफ की कमी के दृष्टिगत उक्त कार्य को प्राथमिकता से किये जाने हेतु स्टॉफ को टीकाकरण के कार्य मे परिस्थितियो के अनुरूप सयोजित किया गया एव टीमवर्क द्वारा टीकाकरण के लक्ष्यो को प्रभावी प्रयासो द्वारा प्राप्त भी किया गया। वैक्सीन की रसीद लेने एव सप्लाई का रिकॉर्ड सधारण करने का कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बॉन्दीकुई के स्तर पर किया गया है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बॉन्दीकुई के वैक्सीन सप्लाई रजिस्टर से प्रामाणित होता है। वैक्सीन की उपलब्धता सीधे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बॉन्दीकुई से फील्ड स्टॉफ (स्वास्थ्य कार्यकर्ता) द्वारा प्राप्त की जा रही थी। अत इस सम्बन्ध मे मासिक प्रतिवेदन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिवाई के स्तर पर वैक्सीन उपलब्धता प्रदर्शित किये जाने का कोई औचित्य नही था।

अत डॉ बसल के कथनो/तर्को को अविश्वास करने का समुचित आधार उपलब्ध नही है। अत डॉ बसल को प्रदत्त दण्ड न्यायसगत व उचित प्रतीत नही होता है।

अत माननीय राज्यपाल प्रस्तुत प्रकरण मे डॉ सजीव कुमार बसल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिवाई, (दौसा) द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियम-1958 के नियम-34 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका दिनाक 28 05 2012 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दण्डादेश दिनाक 21 05 2009 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियॉ असचयी प्रभाव रोके जाने के दण्ड को कम कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा प्रश्नगत पारित दण्डादेश दिनाक 21 05 2009 को शेष भाग यथावत रखे जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-
(अजू राजपाल)
शासन सयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमाक प 10(2)(71)राभ /2012/ 752, दिनाक 28 05 2012 के क्रम मे।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग।
3. निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर।
4. कार्मिक (क-1/गो.प्र0) विभाग, राज0 जयपुर (25 08 1962)
5. कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग 10(135)2006
6. डॉ सजीव कुमार बसल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी
   द्वारा- शासन उप सचिव,
   चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप-2)विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक -- सीबी/सीएएस/एस-283/2019/543 दिनांक 5/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. शासन सयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाच) विभाग, राज0. जयपुर के आदेश क्रमाक प 5(2)(33)का/क-3/शिका./2012 दिनाक 24 04 2019 के क्रम मे।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज जयपुर को उनके पत्र क्रमांक पं 13(11)चिस्वा/2/19 दिनाक 08 05 2019 के क्रम मे लेख है कि निदेशालय के पत्रावली सख्या एस-283 आपके अधीन भिजवाई गई थी जो आज दिनाक तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त नही हुई है।
3. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को भेजकर लेख है कि कार्मिक विभाग के आदेश दिनाक 24 04 2019 डॉ0 सजीव कुमार बसल, तत्का चि0अ0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिवाई (दौसा) को आदेश तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित करावे।
5. डॉ0 सजीव कुमार बसल, तत्का. चि0अ0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिवाई (दौसा) द्वारा नियत्रण अधिकारी।
6. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सस्थापन/डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।